(67)

I/निगरानी/विदिशा/भू.रा/2017/1750

न्यायालय श्री मान राजस्व मंडल ग्वालियर मध्य प्रदेश

प्र0क्र0 /2017 रिवीजन

अन्नत सिंह पुत्र दीवान सिंह जाति रघुवंशी धंधा खेती निवासी ग्राम सलोई तेहसील गंज बासोदा जिला विदिशा मध्य प्रदेश

----- रिवीजनकर्ता

बनाम

1:- पोप सिंह पुत्र घासीराम जाति रघुवंशी

2:- विनोद सिंह पुत्र अजब सिंह जाति रघुवंशी

3:- जितेन्द्र सिंह पुत्र अजब सिंह जाति रघुवंशी

4:- प्रवीण पुत्र अजब सिंह जाति रघुवंशी

5:- धर्मेन्द्र पुत्र अजब सिंह जाति रघुवंशी

6:- गीताबाई बेवा अजब सिंह जाति रघुवंशी

धंधा खेती सभी निवासीगण ग्राम सल तेहसील गंज बासोदा जिला विदिशा म0प्र0

7:- शासन मध्यप्रदेश ------ प्रति रिवीज

श्री अभि-चतुर्वेदी अधि. आज दि. 13.6.17 को प्रस्तुत 13.6.17

क्लर्क ऑफ कोर्ट
राजस्व मण्डल म.प्र. ग्वालियर

Chaturvedi 13/06/17

रिवीजन अन्तर्गत धारा 50 म0प्र0 भू0रा0संहिता खिलाफ आदेश दिनांक 31/5/2017 न्यायालय श्री तेहसीलदार महोदय तेहसील गंज बासोदा प्र0 क्र0 22/अ-74/2016-1 व मामले पोप सिंह आदि बनाम शासन मध्य प्रदेश भू ग्राम सलोई तेह0 गंज बासोदा

====================================

श्री मान महोदय

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रति रिवीजनकर्तागण/आवेदकगण ने एक आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 107(5) म0प्र0भू0रा0सं के अन्तर्गत अतिरिक्त कलेक्टर महोदय विदिशा के न्यायालय में आराजी ग

XXXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक एक/निगरानी/विदिशा/भू.रा./2017/1750 **जिला** – विदिशा

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
21.12.17	प्रकरण का अवलोकन किया। यह निगरानी तहसीलदार गंजबासौदा के प्रकरण क. 22/अ–74/2016–17 में पारित आदेश दिनांक 31.05.2017 के विरुद्ध म.प्र. भू–राजस्व संहिता 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जाएगा) की धारा–50 के तहत प्रस्तुत की गई है। 2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि अनावेदकों द्वारा संहिता की धारा 170 (5) के अंतर्गत ग्राम सलोई पटवारी हल्का नं. 52 तहसील गंजबासौदा स्थित भूमि सर्वे नं. 692, 688 एवं 700 की सही जांच कर स्वत्व व आधिपत्य के आधार पर नक्शा दुरुस्त किए जाने का अनुरोध किया गया। कलेक्टर ने उक्त आवेदन पर से दिनांक 27.09.2016 को प्रकरण पंजीबद्ध कर तहसीलदार बासौदा को जांच प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकार के माध्यम से यथाशीघ्र भेजने के निर्देश दिए। प्रकरण में कार्यवाही के दौरान आवेदक ने आपत्ति प्रस्तुत की गई जिसका निराकरण तहसीलदार ने आलोच्य आदेश द्वारा करते हुए प्रकरण अनावेदकों को साक्ष्य हेतु नियत किया। इस आदेश के विरुद्ध आवेदक ने यह निगरानी पेश की है। 3/ आवेदक अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से यह तर्क दिया गया है कि अधीनस्थ न्यायालय ने आवेदक की आपत्ति को निरस्त करने में कानूनी भूल की है। जब तक दोनों पक्षों एवं मेड़िया काश्तकारों की साक्ष्य नहीं ली जाती तब तक प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा सकता। 4/ अनावेदक अधिवक्ता द्वारा तर्क दिया गया है कि	

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	प्रकरण में कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही विधिवत् है। अतः निगरानी निरस्त की जाए। 5/ उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का अवलोकन किया। तहसीलदार के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि उनके द्वारा किसी प्रकार का प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है। उक्त आदेश के उपरांत आदेश पत्रिका दिनांक 12.06.2017 के अनुसार तहसीलदार ने अनावेदक के आवेदन के अनुसार प्रकरण आवेदक की साक्ष्य के लिए नियत करते हुए प्रकरण राजस्व निरीक्षक एवं पटवारी जिनके द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए गए हैं उन्हें आहुत किए जाने हेतु आवेदक को तलबाना प्रस्तुत करने के निर्देश दिए हैं। इस प्रकार स्पष्ट है कि तहसीलदार द्वारा आवेदक को समुचित अवसर दिया जा रहा है। ऐसी स्थिति में इस स्तर पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा की जा रही कार्यवाही में हस्तक्षेप का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से निरस्त की जाती है। प्रशासकीय सदस्य	